न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –31/2018

दायर दिनांक –27.06.2018

निर्णय दिनांक –20.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2018/00025

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।		1. उमराव कंवर पुत्री दरियाव कंवर 2. किरण सिंह पुत्र दरियाव कंवर 3. भंवर कंवर पुत्री दरियाव कंवर 4. मनोहर कंवर पुत्री दरियाव कंवर 5. सीमा कंवर पुत्री दरियाव कंवर जाति राजपूत निवासी तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177, 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 27.06.2018 को पेश किया गया था। प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि अप्रार्थीगण सं0 1 से 5 ग्राम तिलोरा की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के खाता सं. 03 में खसरा सं. 1752 रकबा 0.14 है. किस्म चाही उत्तम बी में 1/4 हिस्से पर सह खातेदार के रूप में दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel

Date: 2021.10.21 14:21:29 IST

Reason: SelfAttested

20.10.21

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

2. यह है कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में किस्म चाही उत्तम बी होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ ही दर्ज है।
3. यह है कि अप्रार्थीगण ने पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु किसी भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की है।
4. यह है कि श्रीमती अन्तरकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी तिलोरा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0 2 श्री किरणसिंह पुत्र दरियाव कंवर जाति राजपूत एवं उसके पिता श्री मोहनसिंह पुत्र जसवंतसिंह राजपूत द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सम्परिवर्तन कराए बिना कृषि भूमि की शक्ल परिवर्तन कर मौके पर पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य अवैधानिक होने से उपरोक्त भूमि को कानूनन सिवायचक किया जाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर निर्माण करने वालों को बेदखल किया जावे।
5. यह है कि पैरा सं0 4 में वर्णित शिकायत की पटवारी हल्का तिलोरा से जांच करवाए जाने पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम तिलोरा के खसरा नंबर 1752 पर स्वर्गीय दरियाव कंवर के पति श्री मोहनसिंह पुत्र जसवंतसिंह व इनके परिजनों द्वारा पक्का मकान, कमरा व टैंक का निर्माण किया जा रहा है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.03.2018 को उक्त निर्माण कार्य बंद करने हेतु पाबंद किया गया। किन्तु उक्त निर्माण प्रतिवादीगण सं. 2 द्वारा बंद नहीं करके जारी रखा गया।
6. यह है कि पैरा 5 व 6 में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य मकान व पक्के कमरों आदि का निर्माण किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने कृषि भमि के लिए अहितकर एवं उसको प्रदत्त प्रयोजन के विपरित कार्य किया है।
7. यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 एवं 178 के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को होने के कारण उक्त भूमि ग्राम तिलोरा के खसरा नंबर 1752 में प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से की भूमि को सिवायचक दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश फरमाने एवं डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्राप्त प्रार्थना–पत्र में उक्त आराजीयात खसरा नं0 1752 में प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से पर अवैध निर्माण कार्य होना बताया गया है, साथ ही आराजीयात को सिवायचक घोषित करने की अनुशंसा की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 व 178 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार पुष्कर ने निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है–

1. नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukhram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:29 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

3. प्रार्थना–पत्र की अतिरिक्त प्रतियां।

उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक 27.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गये। नोटिस तामिल होने के पश्चात् शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता रामसुख चौधरी ने दिनांक 25.07.2018 को वकालतनामा पेश किया। परंतु विभिन्न तारीखों के अंतराल के पश्चात् अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण दिनांक 04.03.2020 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध अप्रार्थीगण पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं मिला अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29.09.2021 को पेश करने का आदेश दिया गया। दिनांक 29.09.2021 तक भी अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में न्यायालय निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचा है।

–::निर्णय::–

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 एवं 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है। भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर के आवेदन में स्पष्ट किया गया है ग्राम तिलोरा के राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 1752 रकबा 0.14 है0 किस्म चाही उत्तम बी हाल जमाबंदी के खाता नं0 3 में 1/4 हिस्से पर किरणसिंह पुत्र दरियाव कंवर व 3/4 हिस्से पर अंतरकंवर पत्नी रघुनाथसिंह समस्त जाति राजपूत सा. देह के नाम दर्ज है। राजस्व अभिलेख के अनुसार मौके पर तारबंदी लगाकर बीच में से विभाजन कर हिस्सानुसार काबिज है। मौके पर 1/4 हिस्से में कुछ भाग पर किरणसिंह पुत्र दरियाव कंवर ने रहवास हेतु मकान बनाया हुआ है शेष हिस्सा रिक्त है तथा अंतरकंवर पत्नी रघुनाथसिंह के हिस्से पर बबूल खड़े है। उक्त वर्णित खसरा नंबर ग्राम के आबादी से एवं एनएच 89 से लगते हुए है मौके पर रास्ता संबंधी कोई समस्या नहीं है। पटवार हल्का रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नंबर 1752 रकबा 0.14 है0 पर मोहनसिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह (पति श्रीमती दरियाव कंवर व इनके परिवार द्वारा) पूर्व में निर्मित मकान के ऊपर दमदमा व 18×12 का एक कमरा व पुराने टैंक को तोड़कर नया टैंक बना रहा है। इस कारण अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है जो असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नहीं किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है।

खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग अकृषि कार्यों हेतु किया गया है। उक्त कार्य किसी भी प्रकार से अथवा ढंग से कृषि (काश्तकारी) के लिए हितकर नहीं है। अतः खसरा नंबर 1752 रकबा 0.14 है0 के संयुक्त खातेदार किरणसिंह पुत्र दरियाव कंवर हिस्से 1/4 भूमि को बिलानाम घोषित किया जाता है। खातेदार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukna Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:29 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर खातेदारी भूमि को बिलानाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

20.10.21
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(अनुभाग पुष्कर अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:29 IST
Reason: SelfAttested